आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
28.06.19		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–10/2019

अजीत कुमार –बनाम् भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–202, खाता नं0–08 प्लॉट नं0–252, रकवा–2 5/8 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं आवेदक स्वंय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि परियोजना के उपयोग वाले भूमि के वास्तविक रैयत के रूप में आवेदक द्वारा आवश्यक कागजात के साथ अपना दावा प्रसतुत कर मुआवजा भुगतान किए जाने का लगातार अनुरोध किया जाता रहा है, किन्तु अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया गया है। आवेदक द्वारा मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया कि अधिग्रहित भूमि आवेदक द्वारा क्रय किया गया है, परन्तु उक्त भूमि का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को दिखाया गया है, जो यह वाद स्वामित्व के विवाद से संबंधित है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने तथा स्वामित्व के विवाद का मामला है, जो आर्बिट्रेशन से संबंधित नही है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है, तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

28/6/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

28/6/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner